

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

सं०:एस०जे०ई०बी०-एफ०(४)-३/२०१९ दिनांक शिमला-२ १७ मई, २०२१.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एस०जे०ई०बी०-सी०(१)-२/२०१० दिनांक २९ जून, २०१० द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, २०१० के नियम-३, नियम-४ तथा नियम-६ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

नियम-३. परिभाषाएं:

(१३) "स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना" से तात्पर्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत ६५ (पैंसट) वर्ष से ६९ (उनहत्तर) वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन।

नियम-४. पात्रता:

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत ६५ (पैंसट) वर्ष से ६९ (उनहत्तर) वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना किसी आय सीमा की शर्त के १०००/- रुपये प्रति माह की दर से अथवा समय-समय पर जो सरकार द्वारा पेंशन दरें निर्धारित की जाएंगी के अनुसार स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी।

नियम-६. अपात्रता:

उप नियम (५):

(५) सरकारी सेवा की पेंशन ले रहे वृद्ध दम्पति अथवा आयकरदाता वृद्ध दम्पति बिना किसी आय सीमा की शर्त के दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनमें दम्पति में से किसी को सरकारी सेवा की पेंशन न मिल रही हो अथवा दम्पति में से कोई आयकरदाता न हो ताकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके।

1.2

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा०न्या०एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: :एस0जे0ई0-बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

17 मई, 2021.

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि0 प्र0, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, हिमलैंड, शिमला-171001
8. उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।

1.2
उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।